तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
09/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रयपक्ष उप० बाहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र दि० 06/01/26 को पेश हो। [signature] 09/12/25	9 जा०/2025
06/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को प्रकरण की जानकारी दिनांक 01/04/2025 को हुई थी। जैसे ही प्रकरण की जानकारी हुई, प्रार्थीगण ने आदेश की सत्यप्रति हेतु न्यायालय मे आवेदन किया और दिनांक 23/04/2025 को प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त हुई और अगले दिन 25/04/2025 को प्रा० पत्र धारा 5 Limitation Act with O9 R7 & 13 CPC पेश कर दिया अतः दिनांक 01/4/2025 से 24/4/2025 के मध्य निर्णय व आदेशिका की प्रतिलिपियां प्राप्त करने मे हुई वाजिब देरी को न्याय हित मे माफ किया जावे। 2. अभि० अप्रार्थीगण ([illegible]) ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन कि[illegible] प्रार्थीगण की तामील कुलंडा द्वारा दिनांक 21/03/202[illegible] सम्मन की proper service करा[illegible] कथन पूर्णतः गलत है कि प्रार्थी 1 प्रकाशचन्द के सम्मन पर हस्ताक्षर (signature) नहीं है। प्रार्थी नं० 3 प्रहलादकी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका[म] हुक्म [...] में [...]
	ग्राम सेमला (सुनेल) में ही e-mitra की दुकान चलाता है जिसे सभी समाज व्यक्ति एवं ग्रामवासी पहचानते हैं अतः यह कथन गलत है कि अप्रार्थी 1 प्रकाशचन्द की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने signature करके सम्मन लेकर प्रार्थीगण को सूचना नहीं दी हो। आगे तर्क किया कि प्रकरण में दिनांक 11/02/2025 को ex-parte judgement and decree जारी हुई थी और प्रार्थीगण ने करीब 76 days के बाद यह प्रा० पत्र 09R7 &13 cpc with प्रा० पत्र 5 limitation Act पेश किया है जो करीब 46 days की बड़ी देरी के बाद पेश किया है। प्रार्थीगण ने देरी का कोई भी अच्छा कारण भी नहीं बताया है। अप्रार्थीगण (वादीगण) का परेशान करने के लिए यह प्रा० पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण को अपीलीय कोर्ट में अपील करनी चाहिए। अतः देरी माफ करने योग्य नहीं होने प्रा० पत्र धारा 5 limitation Act खारिज किया जाकर प्रा० पत्र 09R13CPC भी खारिज किया जावे। 3. वहस प्रा० पत्र धारा 5 limitation Act के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण सं० 29/2024 भैरूलाल v/s प्रकाशचंद वगै० में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11/02/2025 को निर्णय व डिक्री जारी की गई थी। Ex-parte decree को set-aside करने के लिये पेश प्रा० पत्र की limitation तय करने के लिये पहले यह देखना [illegible] कि प्रार्थीगण को मुकदमे में summons की [illegible] proper रूप से हुई थी या नहीं। (तामील) के अवलोकन से स्पष्ट है कि तामील कुनिंदा द्वारा तीनों प्रार्थीगण के सम्मन प्रार्थी 1 प्रकाशचंद को दिये गये थे।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [...] जिला [...]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्य दोनों प्रार्थीगण, प्रकाशचन्द के पुत्र हैं और दोनों के गांव से बाहर जाने से family के major member यानी प्रकाशचन्द को दिये गये। सम्मन दिनांक 21/3/2024 को तामील किये थे और एकपक्षीय कार्यवाही करीब 05 माह बाद दिनांक 22/8/24 को की गई। निर्णय व डिक्री करीब 11 माह बाद दिनांक 11/2/2025 को जारी की गई थी। इतने समय तक प्रार्थीगण कभी भी court में present नहीं हुए।

जहाँ तक प्रार्थी 1 प्रकाशचन्द के सम्मन पर हस्ताक्षरों का प्रश्न है - यह तो Handwriting expert or forensic document examiner द्वारा ही स्पष्ट/जांच किया जा सकता है। लेकिन prima facie हस्ताक्षर प्रार्थी प्रकाशचन्द के ही प्रतीत होते हैं। षडयंत्र या जालसाजी होने की संभावना कम प्रतीत होती है। प्रार्थी प्रहलादसिंह e-mitra का संचालक होने से गांव में known व्यक्ति है और शिक्षित भी है (this fact is undisputed) अतः सम्मन की तामील proper रूप से होना जाहिर होता है और इसलिये ex-parte decree Dated 11/02/2025 को set-aside कराने का प्रा० पत्र पेश करने की limitation, आर्टिकल - 123 The limitation Act के अनुसार डिक्री की दिनांक से 30 days है। प्रार्थीगण द्वारा करीब 76 days बाद यानी करीब 46 days की delay से प्रा० पत्र 09R13CPC पेश किया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01/4/[illegible] निर्णय व डिक्री की जानकारी [illegible] और दिनांक 23/4/2025 को नकल (certified copies) [illegible] है जबकि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रकरण सं० 29/2024 की नकलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में

28/3/2025 को नकल के लिए कोर्ट में आवेदन किया था जिसका रसीद क्रमांक 234 है। प्रकरण के नकल या सत्यप्रतियां दिनांक 01/4/2024 को कोर्ट द्वारा जारी कर दी गई थी अतः स्पष्ट है कि प्रार्थिया ने झूठा कथन किया है। नकल मिलने के बाद दिनांक 25/4/2025 को यानी करीब 24 दिनों बाद यह प्रा० पत्र 09 R7 S13 CPC पेश किया है अतः प्रार्थिया द्वारा 46 days की delay से प्रा० पत्र पेश करना साबित है।

प्रार्थिया द्वारा इस 46 days की delay का कोई भी कारण या good cause अंकित नहीं किया है। दिनांक 01/4/2025 को नकल के लिए आवेदन करना और कोर्ट द्वारा 22 दिनों बाद दिनांक 23/4/2025 को नकल जारी करने का कथन (reason) पूर्णतः झूठा साबित है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा मूलवाद धारा-188 RT Act का होने के आधार पर प्रार्थिया का प्रा० पत्र 5 limitation Act खारिज किया जाता है और देरी माफ नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप प्रा० पत्र 09 R7 S13 CPC भी खारिज किया जाता है। प्रार्थिया डिक्री की अपील हेतु स्वतंत्र है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner